न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/विविध/रा.का.अधि./07/2025/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. अन्नाराम पुत्र लालाराम 2. अदाराम पुत्र लालाराम, जाति गर्ग, निवासी ग्राम मवडी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।	1. हठसिंह पुत्र खीमसिंह 2. अर्जुनसिंह पुत्र खीमसिंह 3. महेन्द्रसिंह पुत्र खीमसिंह, जातियान राजपूत, निवासी ग्राम मवडी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 4. उसब कंवर पत्नी आम्बसिंहजी पुत्री खीमसिंह, निवासी ग्राम साथुनी पुरोहितान, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा। 5. कमला कंवर पत्नी धनसिंह पुत्री खीमसिंह, निवासी ग्राम मवडी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। **अपीलांट संख्या 01 के वारिसान** 6. करणसिंह पुत्र लालसिंह, निवासी ग्राम मवडी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। **अपीलांट संख्या 2 के वारिसान** 7. कालूराम पुत्र खेताराम 8. मदन पुत्र खेताराम 9. डुंमर पुत्र खेताराम 10. रसाल कंवर पुत्री खेताराम 11. सुरजकंवर पुत्री खेताराम, जातियान रावणा राजपुत, निवासी ग्राम मवडी, तहसील सिवाना, ज़िला बालोतरा। 12. भैरा पुत्र गुणेशा 13. पुनीया पुत्र गुणेशा, जातियान रावणा राजपुत, निवासी ग्राम मवडी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 14. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसील सिवाना, ज़िला बालोतरा। **प्रफोर्मा पक्षकार–** 15. पारसमल पुत्र लालाराम, जाति गर्ग, निवासी ग्राम मवडी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 16. माधा पुत्र खीया, जातियान रावणा राजपूत, निवासी ग्राम मवडी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 17. सुकी देवी पुत्री लालाराम पत्नी मानाराम, जाति गर्ग, निवासी ग्राम मुंगडा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 18. पेपीदेवी पुत्री लालाराम पत्नी छगनाराम, जाति गर्ग, निवासी ग्राम थापन, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	19. श्रीमती पोची देवी पुत्री लालाराम, पत्नी मांगीलाल, जाति गर्ग, निवासी ग्राम भाद्राजून, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपील संख्या 33/2003 बउनवान खीमसिंह वगैरह बनाम माधा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2003 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री छतरकरण भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—03.10.2025

प्रार्थना—पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बेश्वर के खसरा संख्या 389 (वर्तमान खसरा संख्या 201 क्षेत्रफल 2.8419 हेक्टेयर) की खातेदारी न्यायिक आदेश से सन् 1974 में प्रार्थीगण के पिता लालाराम के खातेदारी में इन्द्राज हुई है। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसे खारिज कर दिया था। किन्तु उक्त निर्णय के विरूद्ध खीमसिंह व करणसिंह द्वारा श्रीमानजी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे प्रार्थीगण को बिना सुने ही अपील संख्या 33/2003 बउनवान खीमसिंह वगैरह बनाम माधा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2003 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 (अपीलांट) को खातेदारी प्रदान कर दी। श्रीमानजी के माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बेश्वर के खसरा संख्या 389 (वर्तमान खसरा संख्या 201 क्षेत्रफल 2.8419 हेक्टेयर) की खातेदारी न्यायिक आदेश से सन् 1974 में प्रार्थीगण के पिता लालाराम के खातेदारी में इन्द्राज हुई है। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 16.05.2003 को खारिज कर दिया था। किन्तु उक्त निर्णय के विरूद्ध खीमसिंह व करणसिंह द्वारा श्रीमानजी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे प्रार्थीगण को बिना सुने ही अपील संख्या 33/2003 बउनवान खीमसिंह वगैरह बनाम गाधा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2003 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 (अपीलांट) को खातेदारी प्रदान कर दी। वर्तमान में अपील में पक्षकार अपीलांट खीमसिंह, रेस्पों. लालाराम, खेताराम का देहांत हो चुका है इसलिए उनके स्थान पर जानकारी अनुरूप उनके वारिसान को पक्षकार संयोजित किया गया है। हाजा न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपील में रेस्पों. संख्या 1 से 5 के विरूद्ध दिनांक 17.10.2003 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 06.03.2006 को हो चुका है। प्रार्थी के पिता को उक्त प्रश्नगत निर्णय की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी के पिता लालाराम रेस्पों. संख्या 05 स्व. लालारामजी को न्यायालय में विचाराधीन अपील के नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुए। न ही प्रार्थी को उक्त अपील की कार्यवाही की जानकारी नहीं रही है। हाल ही में प्रार्थीगण द्वारा लालारामजी के मालिकांना हक स्वामित्व बावत् की जायदाद बावत दस्तावेज प्राप्त किये तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई। जबकि प्रश्नगत निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण के पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने के कारण नहीं हो सकी। बिना प्रार्थीगण को सुने ही एकपक्षीय निर्णय के जरिये खीमसिंह व करणसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया है जिससे लालाराम के वारिसान/प्रार्थीगण के हक अधिकार समाप्त हो गये हैं। रेस्पों. संख्या 5 लालाराम के नाम जारी किया गया सम्मन तामील कुनिन्दा ने तामील नही करवाया है। मनमाफिक लेने से इंकार दर्शाकर चस्पा किये जाने का अंकित किया है। नोटिस के पुश्त पर मानसिंह व देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह के फर्जी हस्ताक्षर किये हुए है। जिसकी पुष्टि मानसिंह के वारिसान व देवीसिंह के द्वारा की गई हैं। इसलिए प्रश्नगत अपील एवं निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण के पिता रेस्पों. सख्या 5 लालाराम को नहीं हो सकी। उक्तानुसार प्रार्थीगण को प्रश्नगत निर्णय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के पिता रेस्पों. संख्या 5 लालाराम की गलत तरीके से तामील मानते हुए प्रश्नगत निर्णय एकतरफा पारित करवाया। उक्त निर्णय बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रार्थीगण के पिता रेस्पों. संख्या 5 को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया है,. हाजा न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि भूमि राजस्व रिकार्ड में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज थी और दावा करने वाले व्यक्ति सवर्ण जाति के हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 की धारा 42 (ख) अनुसूचित जाति के काश्तकारों के हकों की सुरक्षा करती है। धारा 42 (ख) के अनुसार वह व्यवहार/हस्तांतरण शून्य होगा, यदि कोई विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। 'बालू बनाम बिरदा, 1983 आर.आर.डी. 159' में यह

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिपादित किया गया है कि "हस्तातंरण शब्द का अर्थ विस्तृत है, राजीनामे की डिक्री को भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के तहत हस्तातंरण ही माना जायेगा।" स्टेट बनाम केसर बाई 1980 आर.आर.डी 252 में भी प्रतिपादित किया गया है कि "यदि किसी अनुसूचित जाति अथवा जन जाति की भूमि का सवर्ण के हित में अन्तरण कर दिया और कब्जा भी दे दिया तो राजस्व न्यायालय ऐसे अन्तरण को मान्यता नहीं देगा। काश्त और कब्जा मूल खातेदार का माना जायेगा।" अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर श्रीमान न्यायालय का एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री 31.10.2003 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदांन फरमाते हुए प्रश्नगत अपील को पुनः नबंर पर लेकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बेश्वर के खसरा संख्या 389 (वर्तमान खसरा संख्या 201 क्षेत्रफल 2.8419 हेक्टेयर) की खातेदारी न्यायिक आदेश से सन् 1974 में प्रार्थीगण के पिता लालाराम के खातेदारी में इन्द्राज हुई है। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 16.05.2003 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत कर दिया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध खीमसिंह व करणसिंह (अपीलांट) द्वारा श्रीमानजी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे प्रार्थीगण को तामील हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। जिस पर प्रार्थीगण/रेस्पों. द्वारा बाद तामील हाजा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही संपादित की जाकर अपील संख्या 33/2003 बउनवान खीमसिंह वगैरह बनाम माधा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2003 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 (अपीलांट) को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। रेस्पों. संख्या 5 जानबूझकर हाजा न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुये। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट/प्रत्यर्थीगण का लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है। जिस पर प्रार्थीगण/रिव्यूकर्ता द्वारा कभी कोई उज्र ऐतराज नही किया गया। रेस्पों. संख्या 5 लालाराम के नाम से ज़ारी सम्मन की विधिवत तामील करवायी गयी। नोटिस को लालाराम के आवास पर चस्पा किया जाकर उपस्थित मौतबिरानों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रेस्पों. संख्या 5 को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। प्रार्थी के पिता रेस्पों. संख्या 5

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लालाराम को सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता लालाराम को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी मजदूरी पेशा एवं अनपढ़ व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी द्वारा कभी राजस्व रेकार्ड नहीं देखा गया। अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा वकील के मार्फत राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब प्रार्थीगण को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही हस्तगत प्रार्थना-पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह प्रार्थना-पत्र अन्दर म्याद पेश है। हस्तगत प्रार्थना-पत्र पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः प्रार्थना-पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जावे।

वकील अप्रार्थी/अपीलांट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि हाजा न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पिता रेस्पों. संख्या 5 लालाराम को सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के वावजूद भी वे श्रीमान के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आए। उपस्थिति नहीं होने के आधार पर रेस्पों. संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थीगण के पिता रेस्पों. संख्या 5 की मृत्यु आलोच्य निर्णय के लगभग 3 वर्ष बाद हुई है। जिससे प्रार्थीगण का यह कथन सारहीन है कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पिता रेस्पों. संख्या 5 लालाराम को आलोच्य निर्णय की जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगणं द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र लगभग 22 वर्षों की देरी से प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक कारण हाजा न्यायालय के समक्ष नहीं बतलाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देरी से पेश किया गया है।

श्रीमान के न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री जारी की हैं। प्रार्थीगण द्वारा बावजूद जानकारी हस्तगत प्रार्थना-पत्र अत्यंत विलंब से पेश किया गया है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र सारहीन एवं मियाद बाधित होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत प्रार्थना-पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हाजा न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में प्रार्थीगण के पिता रेस्पों. संख्या 5 लालाराम को सुनंवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया प्रतीत होता है। लालाराम को प्रेषित नोटिस व्यक्तिशः तामील नहीं करवाये गये। पक्षकार को सनुंवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आलोच्य निर्णय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। तामील प्रक्रिया में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई। अपील में प्रथम बार नोटिस जारी करते हुए प्रतिरथापित तामील करवाई गई। सम्मन की तामील सवार द्वारा करवाई गई तथा सवार की तामील रिपोर्ट पर तहसीलदार का कोई सत्यापन नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 की धारा 42 (ख) अनुसूचित जाति के काश्तकारों के हकों की सुरक्षा करती है। धारा 42 (ख) के अनुसार वह व्यवहार/हस्तांतरण शून्य होगा", जिससे विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। हांजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील में निर्णय पारित करते वक्त वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही प्रार्थीगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। प्रश्नगत मूल प्रार्थना–पत्र में आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों तथा मेरी सुविचारित राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने योग्य ठहरता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर हाजा न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 33/2003 बउनवान खीमसिंह वगैरह बनाम माधा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2003 को अपास्त किया जाता है। प्रार्थीगण को सुनने हेतु मूल अपील पुनः पुराने नम्बर पर दर्ज हो।

3/10/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/10/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर